षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-01.04.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सत्यदेव राम, स०वि०स०	बिहार पुलिस में सिपाही पद की नियुक्ति के लिए अर्हक योग्यता में ऊँचाई-(1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरूषों एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम 165 से.मी., (2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम 162 से.मी. (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम 160 से.मी. (4) भारतीय मूल के गोरखा के लिए (गोरखा बटालियन में) न्यूनतम 158 से.मी. तथा (5) सभी वर्गों की महिला के लिए न्यूनतम 155 से.मी. निर्धारित किया गया है। जबकि अन्य राज्यों यथा-उत्तर प्रदेश में उक्त पद हेतु अनुसूचित जाति की महिला के लिए ऊँचाई-152 से.मी. तथा अनुसूचित जन जाति के लिए 147 से.मी. है साथ ही रेलवे सुरक्षा बल में भी अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग की महिला के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 से.मी. है। अतः अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिला के लिए सिपाही पद की भर्ती में न्यूनतम ऊँचाई 150 से.मी. निर्धारित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	गृह

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स०	दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड में पी०डब्लू०डी० पथ बघांत से लक्ष्मीपुर, सकरी बाजार श्री सदन से ब्राह्मण टोला भाया मण्डल टोला सकरी पुरानी बाजार, उजान जनता चौक से मनीगाछी, पी०डब्लू०डी० पथ बघांत से आनन्द नगर तक सड़क सहित उक्त प्रखंड एवं जिला के अन्य सड़क ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा एम०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत विगत तीन वर्षों से निर्माणाधीन है । इन अधूरे सड़कों की जर्जर स्थिति में आवागमन अवरूद्ध है । जो भी निर्माण कार्य किये गये हैं, उसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, साथ ही एक कार्य पूर्ण नहीं करने के बावजूद भी विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से दूसरा कार्य भी पुनः उसी संवेदक को आवंटित किया गया जो नियम संगत नहीं है । अतएव उक्त मामलों की जाँच कराकर भ्रष्ट पदाधिकारी एवं दोषी संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	ग्रामीण कार्य

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/16- 668 / वि०स०, पटना, दिनांक- 30 मार्च, 2016 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.3.16

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/16- 668 / वि०स०, पटना, दिनांक- 30 मार्च, 2016 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

30.3.16

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।